राजस्थान सरकार

कारखाना एवं बायलर्स निरीक्षण विभाग

कार्यालय मुख्य निरीक्षक कारखाना एवं बायलर्स, 6 सी, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर 302004

क्रमांक F1(BRAP)RC/2021/F&B-00016 | 259   दिनांक 15/07/2021

आदेश

राज्य के उद्योगों पर व्यावसायिक नियामकों की अनुपालनाओं (Regulatory Compliances) का बोझ कम कर उद्योगों को प्रोत्साहन देने तथा EoDB के लिये कारखानों में display किये जाने वाले नोटिसेस की आवश्यकताओं को कम करने व redundancy को दूर किये जाने की आवश्यकता है।

उक्त उद्देश्य को प्राप्त करने के लिये निर्देशित किया जाता है कि यदि सूचनाएं/नोटिस जैसे name and details of industry, work timings, weekly-off details आदि किसी श्रम कानून के तहत प्रदर्शित की जा चुकी हैं तो निरीक्षण के दौरान ऐसी सूचनाएं/नोटिस को पुनः कारखाना अधिनियम, 1948 व नियमों के तहत प्रदर्शित किया जाना आवश्यक नहीं होगा।

उक्त आदेश किसी शिकायत अथवा दुर्घटना होने की स्थिति अथवा प्रशासनिक / राज्य सरकार के किसी आदेश अथवा न्यायालय के आदेश अथवा मानवाधिकार आयोग के आदेश की स्थिति में लागू नहीं होंगे।

15/7/2021

(मुकेश जैन)

मुख्य निरीक्षक कारखाना एवं बालयर्स

राजस्थान, जयपुर